न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व वाद संख्या 116/2017

1– श्री लादूराम पुत्र भूरा उम्र बालिग

2– श्रीमति भगवती पुत्री भूरा उम्र बालिग

3– श्रीमति गीता पुत्री भूरा उम्र बालिग समस्त जाति ब्राहमण निवासीयान ग्राम बिजयनगर तहसील बिजयनगर जि0अजमेर

———वादीगण

ब ना म

राजस्थान सरकार बजरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय, बिजयनगर जिला–अजमेर

———प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी

निर्णय

वादीगण ने अपने वाद पत्र में सारांशतः निवेदन किया है, कि ग्राम बाडी पटवार हल्का बाडी तहसील बिजयनगर के खसरा नंबर 189 रकबा 01–16–00 बीघा व 1257 रकबा 07–18–00 व 1028 रकबा 07–13–00 कुल किता 03 रकबा 17–07–00 बीघा भूमियां वादीगण के पिता के एवं वादी लादूराम के नाम बतौर गैर खातेदार राजस्व रेकार्ड में दर्ज चली आ रही है। उक्त आरायिजात संवत 2041 में राजकीय भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी जो राजस्थान सरकार द्धारा उक्त आराजियात वादीगण के पिता भूरा वल्द सुखदेव व लादू पि. भूरा के नाम दर्ज थी । राजस्थान सरकार द्वारा उक्त आराजीयात भूरा वल्द लादू के नाम अलोट की थी। उक्त आराजीयात पर अलोटमेन्ट के वक्त से ही भूरा वल्द लादू का कब्जा चला आ रहा था। वादीगण के पिता के नाम नामान्तकरण संख्या 7091 दिनांक 31.05.1997 को डिक्री के मुताबिक राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हुआ तभी से ही वादीगण काश्त करते चले आ रहे है। राजस्थान सरकार द्धारा नामान्तकरण संख्या 1690 दिनांक 14. 12.2010 के द्धारा भूदान होल्डर को विलोपित किया गया था। तभी से ही वादीगण काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण पिछले 40 साल से शांतिपूर्वक बिना किसी रोक टोक व बाधा के काश्त करता चला आ रहा है जो वादी के सुखाधिकार के रूप में काश्त करते चले आ रहे है। जिससे वादीगण के नाम खातेदार दर्ज करने हेतू घोषणात्मक डिक्री प्राप्त कराने का एक मात्र अधिकारी है। प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि को गलत इन्द्राजो के आधार पर खुर्द बुर्द कर देगा और कई लोगो के नाजायज कब्जा करा देगा। इसलिये इस वाद की आवश्यकता हुई है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वादीगण के हक में तथा प्रतिवादी के विरूद्ध डिक्री पारीत की जाकर वादग्रस्त आराजियात में वादीगण के नाम खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा जो वादीगण के उक्त आरायिजात में गैर खातेदार लिखा है, उससे हटाकर खातेदार दर्ज किया जावे। तथा प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से मुमानियत किया जावे कि वादीगण को विवादित आराजीयात से बेदखल नही करे तथा हस्तांतरित परिवर्तित आदि नही करे। तथा खर्चा वाद दिलाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी ने जवाब पेश नही कर मौखिक निवेदन किया कि विवादित भूमियां वादीगण के नाम गैर खातेदारी में दर्ज है तथा कमाण्ड ऐरिया में होने से खातेदारी नही दी जा सकती है। अतः वाद खारीज किया जावे।

मेरे द्वारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया बाद अवलोकन वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के अनसुार विवादित भूमियां वादीगण के पिता के नाम गैर खातेदारी में दर्ज होना पाया गया। उनके पिता के स्वर्गवास के बाद वादीगण के नाम गैर खातेदारी में दर्ज होना पाया गया। किन्तु राज्य सरकार के निर्देशानुसार कमाण्ड ऐरिया में विवादित भूमियां होने के कारण उन्हें खातेदारी प्रदान किया जाना न्यायचित प्रतित नही होता है, अतः ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार योग्य नही पाया जाता है।

अतः वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादी अस्वीकार किया जाकर खारीज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08.06.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

(सुरेश चावला)
उपखण्ड अधिकारी मसूदा
मसूदा (अजमेर) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.24 14:33:59 IST
Reason: SelfAttested
Location: